न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
34/2021 प्रा0प0

फैसल दिनांक
11.04.2022

उनवान

मदनसिंह पिता भंवरसिंह राजपुत उम्र वयस्क निवासी करौली त. भदेसर जि. चित्तौड़गढ़।

...............प्रार्थी

।। बनाम ।।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

.... विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित– श्री औंकार लाल रायका वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम करौली पटवार हल्का आकोलाकलां तहसील भदेसर की संवत 2076 की जमाबन्दी अनुसार खाता सं. 73 में दर्ज आराजी नं0 252 रकबा 0.21 हैक्टेयर आराजी न0 253 रकबा 0.26 हैक्टेयर खाता संख्या 74 मे दर्ज आराजी नम्बर 440 रकबा 0.43 हैक्टेयर आराजी नम्बर 441 रकबा 0.02 हैक्टेयर खाता संख्या 75 में दर्ज आराजी न0 231, 254, 255, 26, 274, 321, 338, 34, 351 403 408, 415, 419 , 42, 44, 61 , 623, 656, 799, 839, 919, 940 , 957 जिनका रकबा क्रमशः 1.35, 0.10, 0.21, 0.22, 0.38, 0.38, 0.12, 0.59, 0.37 0.05, 0.19, 0.15, 0.18, 0.18, 0.73, 0.63, 0.02, 0.08, 1.80, 1.29, 0.63, 0.28, 0.25, कुल रकबा 10.18 हैक्टेयर एवं खाता सख्या 76 मे दर्ज आराजी न0 273 रकबा 0,43 है0 आराजी न0 944 रकबा 1.00 है0 दर्ज रिकॉर्ड है जिसपर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपरोक्त वर्णित चारो खाते वाली आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थी का नाम मदन सिंह पिता भंवर सिंह के बजाय मोती सिंह पिता भंवर सिंह अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी का खाता संख्या 144 एवं 72 में प्रार्थी का वास्तविक नाम मदन सिंह ही अंकित है इसी प्रकार प्रार्थी के नाम जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड , जनआधार कार्ड राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों से भी प्रार्थी का नाम मदन सिह ही अंकित है इसके साथ ही पंचायत में इसी नाम सत्यता का प्रमाण पत्र भी जार करके प्रार्थी को दिया है जो उक्त सभी दस्तावेजो के साथ पत्रावली संलग्न किया जा रहा है बैंक पास बुक, जनआधार कार्ड में भी दर्ज है उक्त चारो ही खात वाली आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मदन सिंह के बजाय मोती सिंह दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं से वंचित हो रहा है। इसलिये उपरोक्त चारो खातो वाली आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मोती सिंह के बजाय मदन सिंह अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि उक्त चारो खातो वाली आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम की त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

यह कि प्रार्थी को उक्त त्रुटि की पूर्व में जानकारी नहीं थी, अभी दिनांक 24.11.2021 को प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले लेने पर प्रार्थी को उक्त त्रुटि की जानकारी होने से बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा होकर हर रोज हो रही है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित चारो आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मोती सिंह के बजाय मदन सिंह अंकित किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबंदी मौजा ग्राम करौली खाता संख्या 76, 73, 74, 75, 144, 72, आदि संवत् 2076 की पत्रावली मे पेंश है।
2. ग्राम पंचायत का लेटर पेड/प्रमाण पत्र।

जिला-चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

3. मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड , जनआधार कार्ड व राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों की फोटो प्रतियां।

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी जिन्होनें प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात में प्रार्थी का नाम मोती सिंह के बजाय मदन सिंह राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि प्रार्थी का नाम मदन सिंह के बजाय मोती सिंह कर दिया गया जो शुद्धि योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज मौजा ग्राम करौली पटवार हल्का आकोलाकलां तहसील भदेसर की संवत 2076 की जमाबन्दी अनुसार खाता सं. 73 में दर्ज आराजी नं0 252 आराजी न0 253, खाता संख्या 74 मे दर्ज आराजी नम्बर 440 आराजी नम्बर 441 खाता संख्या 75 में दर्ज आराजी न0 231, 254, 255, 26, 274, 321, 338, 34, 351 403 408, 415, 419 , 42, 44, 61 , 623, 656, 799, 839, 919, 940 ,957 एवं खाता सख्या 76 मे दर्ज आराजी न0 273, आराजी नम्बर 944 कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मोती सिंह के के बजाय मदन सिंह शुद्धि से इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,